कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1166 FP/UK/ROAD/11039/2015 दिनॉकः देहरादून 17 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगढ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.52 है0 के सम्बन्ध में। (Online proposal No **FP/UK/ROAD/11039/2015**)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का **EDS** दिनांक 22.10.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 22.10.2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to para 01 no comments/justification submitted by the State Govt. As the case the already been closed. State Govt. is required to submit the proposal for reopening the case as per guidelines.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि बिन्दु संख्या 01 समय से आपत्तियों का निराकरण न कर पाने का मुख्य कारण मोटर मार्ग से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारापेण हेतु दुगनी सिविल भूमि 13.066 है0 उपलब्ध होने में अधिक समय लगना था।
2	बिन्दु सं0 02 के जवाब में यह दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग दो मुख्य मोटर मार्गो को आपस में जोडने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें ओक प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित है साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।	उक्त बिन्दु के कम में प्रभागीय वानधिकारी, ब्रदीनाथ वन प्रभाग, द्वारा दिनांक 17.09.2020 को उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि लोक निर्माण विभाग, गैरसैण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्रस्तावित मोटर मार्ग दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने तथा मुख्य रूप से नारायणबगड़ विकासखण्ड व थराली विकासखण्ड को गैरसैंण व कुमांऊ मार्ग से जोडने हेतु न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिसमें 5.00 कि0मी0 लम्बाई का मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 0–10 ब्यास वर्ग के 417 बांज वृक्ष व उससे अधिक व्यास वर्ग के 680 ओक प्रजाति के वृक्षों के सापेक्ष दुगने ओक वृक्षो का वृक्षारोपण अन्यत्र क्षेत्र नवाली पंचम क0न0 02 में वृक्षरोपण किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही लोक निर्माण विभाग, गैरसैण द्वारा पूर्व में निर्मित 5.00 कि0मी0 मार्ग को पक्का किया जायेगा।
3	Reply to point No-3 VLC proceeding of Diwalikhal still not submitted/upload.	बिन्दु संख्या 03 के क0सं0 प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया दिवालीखाल ग्राम सभा मरोड़ा ग्राम के अन्तर्गत आता है जिसकी वी0एल0सी0 मरोड़ा ग्राम सभा के नाम से पार्ट । K में तथा

		additional information में FRA के नाम से अपलोड करायी गयी थी।
4	In reply to point No 03 state Govt. Submitted that the report/documents in respect of kedarnath wildlife division and bad rination forest divsion are enclosed but not found with the reply. State Govt. may submit the required documents.	उक्त बिन्दु के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करवाकर निरीक्षण आख्या पार्ट ।। के additional information में कमांक 5 पर 'EDS Objection has been removed by user agency' के नाम से अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/10/20

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी